संख्या-480/2022/आई/213392/41-1002(001)/24/3021/2749/002-41-2022-122-Budget-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 सितम्बर, 2022**

विषयः- जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3517/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/(125)/2021, दिनांक 17 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद मथुरा के अन्तर्गत वृन्दावन स्थित कुम्भ् क्षेत्र में केशीघाट से कुम्भ0 द्वार तक परिक्रमा मार्ग के किनारे फेंसिंग के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के सापेक्ष योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नावत् है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	संख्या-486/2021/आई/104481/41-1002(099)/24/ 2021 दिनांक 06.10.2021	रू0 110.18 लाख जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	रू0 25.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र)

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 17.10.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि के भुगतान के पूर्व कार्यदायी संस्था से टेण्डर लागत एवं उक्त के सापेक्ष मदवार विवरण प्राप्त कर लिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो।

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 पर प्रदान की जा रही स्वीकृति के सापेक्ष भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 06.10.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविक एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को इस प्रायोजना हेतु सेन्टेज देय नहीं होगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044200 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0,** प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0,** प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष**,** उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद**,** मथुरा ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी **,** उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद**,** मथुरा ।
5- जिलाधिकारी मथुरा।
6- मुख्य कोषाधिकारी,आगरा/वरिष्ठ कोषाधिकारी **,**मथुरा।
7- संबंधित उप निदेशक**,** पर्यटन निदेशालय**,** लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया क्रमांक-**3,4 5, 6, 8, 9, 10, 12** व **13** पर अंकित अधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- वित्त नियंत्रक**,** पर्यटन निदेशालय**,** लखनऊ।
9- उपाध्यक्ष **,**मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण**,** मथुरा।
10- मुख्य अभियन्ता **,**मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण **,**मथुरा।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**7**
12- संयुक्त निदेशक**,**पर्यटन आगरा।
13- वेब अधिकारी**,** पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।